

मोदी क्लीन चिटः याचिकाकर्ता से जुड़े लोग हिरासत में

विजय शंकर सिंह

यह देश के न्यायिक इतिहास का संभवतः पहला मामला होगा जिसमें याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और याचिकाकर्ता से जुड़े लोगों को उसके तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। याचिकाएं खारिज होती रहती हैं और याचिकाकर्ताओं पर जुमाने भी लगा करते हैं, पर इधर याचिका खारिज हुई और उधर याचिकाकर्ता से जुड़े लोग हिरासत में ले लिए गए। ऐसा पहली बार हुआ है। क्या यह एक संदेश के रूप में भी है कि बहुत अधिक याचिकाएं दायर नहीं की जानी चाहिए? जिस याचिका के खारिज होने के बाद यह गिरफ्तारी हुई है, वह याचिका थी, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री, नंदिं मोदी और 63 अन्य को 2002 के दंगों में गठित विशेष जांच दल की क्लीन चिट, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था, की अपील, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता जकिया जाफरी ने दायर किया था।

इस संबंध में कई याचिकाएं तीस्ता सीतलवाड ने भी दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ जिसमें, जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार थे, ने यह याचिका खारिज कर दी और यह कहा कि, किसी साजिश का सुबूत एसआईटी को नहीं मिला है। साथ ही यह भी कहा कि, "जकिया जाफरी की याचिका बेबुनियाद है, और सुझाव दिया कि एसआईटी ने जिस झूठ का पर्दाफाश किया था, उसका दावा करके "असंतुष्ट (गुजरात) अधिकारियों द्वारा, एक साथ मिलकर सनसनी पैदा करने" का प्रयास किया गया था।" यानी गुजरात दंगे में घट्यंत्र की बात कहना अदालत को नागवार लगा।

मुकदमे का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। 28 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर सावरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में आगजनी की गई और इस घटना में लगभग 65 व्यक्ति जल कर मर गए। कहा जाता है कि ये सभी कारसेवक थे जो अयोध्या से गुजरात वापस लौट रहे थे। उस समय नंदिं मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसी के बाद गुजरात के कुछ शहरों में भयानक साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। यह दंगे लंबे समय तक चले। इसी में यह आरोप लगा कि सरकार ने दंगों को रोकने के लिए उचित कदम समय से नहीं उठाए और जनधन की व्यापक हानि होती रही।

यही वह दंगा था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अहमदाबाद का दौरा किया था और मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी। उन्हीं दंगों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया जिसने दंगे के घट्यंत्र की जांच में राज्य सरकार के उच्चतम स्तर पर किसी की लिस्ता के सुबूत नहीं पाए। एसआईटी की उसी जांच को जकिया जाफरी और तीस्ता सीतलवाड ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी और वहां से जब उनकी याचिका खारिज हो गई तो, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई जहां से यह याचिकाएं फिर खारिज कर दी गई।

यह एक स्थापित न्यायिक प्रक्रिया है कि, कोई भी व्यक्ति अपनी अपील कानून के अनुसार उच्चतर न्यायालयों में कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायिक पीठ है जहां उस मामले का अंतिम निपटारा होता है। इस केस में भी यही हुआ। पर इस केस में वह भी हुआ जो आज तक किसी भी केस में नहीं हुआ है कि याचिका कर्ता को याचिका के खारिज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाए। यह न्याय का एक अजीब और गरीब पहलू दोनों है। अपील को खारिज करते हुए,



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "केवल राज्य प्रशासन की निष्क्रियता या विफलता के आधार पर साजिश का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।"

आगे कहा गया है कि, "राज्य प्रशासन के एक वर्ग के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता या विफलता राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश का अनुमान लगाने या इसे राज्य प्रायोजित अपराध (हिंसा) के रूप में परिभाषित करने का आधार नहीं हो सकती है। एसआईटी ने पाया था कि दोषी अधिकारियों की निष्क्रियता और लापरवाही को, उनके संबंध में जरूरी साजिश के लिंक प्रदान करने के लिए सामग्री न हो और राज्य भर में सामूहिक हिंसा फैलाने की योजना को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर कोई कार्य न किया जाये।"

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि, "गोधरा ट्रेन कांड के बाद की घटनाएं" ल्यरिट प्रतिक्रिया" में हुई और अगले ही दिन, 28 फरवरी, 2002 को सेना के अतिरिक्त टुकड़ी की मांग कर दी गई और अशांत क्षेत्रों में कफ्यु लगा दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री नंदिं मोदी ने बार-बार सार्वजनिक आश्वासन दिया था कि दोषियों को दंडित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सही समय पर किए गए इस तरह के सुधारात्मक उपायों के आलोक में और तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार सार्वजनिक आश्वासन दिया गया कि दोषियों को उनके अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, और शांति बनाए रखी जाएगी, में साजिश के सुबूत स्पष्ट नहीं होते हैं। नामजद अपराधियों के मन मस्तिष्क में उच्चतम स्तर पर साजिश रचने के बारे में संदेह का उपजना मुश्किल है।

न्याय की बात करने वाले महानुभाव, अपने वातानुकूलित कार्यालय के एक आरामदायक वातावरण में बैठकर ऐसी भवावह स्थिति के दौरान विभिन्न स्तरों पर राज्य प्रशासन की विफलताओं के तार, जोड़ने में सफल हो सकते हैं। यहां तक कि जमीनी हकीकत को कम जानते हुए या, यहां तक कि जमीनी हकीकत का जिक्र करते हुए, लगातार प्रयास करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन, राज्य भर में सामूहिक हिंसा के बाद समने आने वाली स्वाभाविक रूप से अशांति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किया गया इसे भी देखा जाना चाहिए।

इस संदर्भ में कहा गया है कि, "इस प्रकार की कोई कड़ी अदालत के सामने नहीं आ रही है। इस न्यायालय के निर्देशों के तहत एक ही एसआईटी द्वारा जांचे गए नौ मामलों में से किसी में भी ऐसा खुलासा और साजिश स्थापित नहीं किया गया था।"

कोर्ट ने कहा कि, "आपातकाल के समय

राज्य प्रशासन का विखर जाना कोई ऐसी

घटना नहीं है जिसे सब न जानते हों और

ने गुजरात उच्च न्यायालय के अक्टूबर 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुभाव याचिका दायर की थी, जिसने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, गुजरात उच्च न्यायालय ने जकिया जाफरी को पुनः जांच की मांग करने की स्वतंत्रता दे दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे की जांच के लिए भी कोई सामग्री नहीं है और एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को वैसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे वह है, और कुछ नहीं।

"आगे की जांच का सबाल उच्चतम स्तर पर बड़े घट्यंत्र के आगे के संबंध में नई सामग्री/सूचना की उपलब्धता पर ही उठता, जो इस मामले में सामने नहीं आ रहा है। इसलिए, एसआईटी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट, इसे और कुछ किए बिना स्वीकार किया जाना चाहिए।"

अदालत ने यह कहा है कि "यदि प्रशासनिक मशीनरी बिखरती भी है तो उसे किसी साजिश का अंश नहीं माना जा सकता जब तक कि साजिशकर्ता का दिमाग पढ़ न लिया जाय।"

अदालत यहां में सेरिया की बात कह रही है। मेंसेरिया का निर्धारण कृत्यों से भी किया जाता है क्योंकि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है यह उसके कृत्यों से ही स्पष्ट हो सकता।

पुनः एसआईटी ने जिस तरह से लाभ समय तक दंगा चला, सेना बुलाई गई पर सेना को द्युटी पर देर से उतारा गया, जैसा कि यह भी एक आरोप है, जकिया जाफरी के पाति एहसान जाफरी की मुख्यमंत्री से हुई बातचीत और उसके बाद भी उहें सुक्ष्मा तत्काल न उपलब्ध कराने के आरोप जैसा कि जकिया जाफरी बार-बार कह रही हैं, आदि खबरें तब भी अखबारों में छपी थीं और अब फिर वे प्रकाशित हो रही हैं, तो उन खबरों को देखते हुए किसी के भी मन में साजिश का संशय स्वाभाविक रूप से उठेगा। गुजरात दंगों पर ऐसा नहीं है कि केवल गुजरात या भारत के ही अखबारों और मीडिया में यह सब छपा और दिखाया जा रहा था बल्कि विश्व मीडिया में यह सब बराबर सुर्खियों में छाया रहा। लेकिन एसआईटी, साजिश के कोण को साबित नहीं कर पाई और जो एसआईटी ने किया उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जस का तस स्वीकार कर लिया और यह याचिका खारिज कर दी।

सबसे अधिक हैरानी की बात है कि, गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्लीन चिट की पुष्टि करने के एक दिन बाद तीस्ता सीतलवाड को हिरासत में ले लिया है और वह गुजरात दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश की जांच की मांग करने वाली याचिकाकर्ताओं में से एक थीं। उनके साथ ही आरबी श्रीकुमार जो दंगों के समय गुजरात के दीजीपी थे को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी गुजरात दंगों की साजिश के मामले में सबूत गढ़ने और झूठी कायदावाही शुरू करने के आरोप पर है। गुजरात पुलिस की शिकायत में तीस्ता सीतलवाड, सेवानिवृत्त एसआईएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार और जेल की सजा भुगत रहे, पूर्व एसआईएस (गुजरात) संजीव भट्ट का नाम जालसाजी (468,471), झूठे सबूत देने (194), साजिश (120 बी), झूठे रिकॉर्ड बनाने (218), का आरोप है। गुजरात पुलिस की शिकायत में कहा गया है,

"पर्दे के पीछे की आपराधिक साजिश और अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों की मिलीभगत से विभिन्न गंभीर अपराधों के लिए व्यक्त करते हैं और फिर भी, हम पाते हैं कि उहोंने इस जांच में मेहनत की ह